सिविल विविध

न्यायमूर्ति डी. के. महाजन और आर. एस. नरूला j के समक्ष.

भीरू मल उर्फ भोजू मल और एक अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

वित्तीय आयुक्त, राजस्व, हरियाणा और अन्य, उत्तरदाता

1967 की सिविल रिट संख्या 254।

10 अप्रैल, 167।

विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम (1954 का एक्सएलआईवी) - *धारा* 3 (2) *और* 20 - *मुख्य बंदोबस्त आयुक्त - क्या एक प्रबंध अधिकारी को अपने जिले में अधिग्रहित विस्थापित कृषि भूमि को किसी विस्थापित व्यक्ति को आवंटित करने के अधिकार क्षेत्र से वंचित करने के निर्देश जारी कर सकता है, जिसके पास ऐसी भूमि के आवंटन के लिए सत्यापित दावा है और जिसके खिलाफ उस जिले में भूमि प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है - आवंटन करने के लिए प्रबंध अधिकारी की शक्तियां भूमि- प्रयोग कैसे किया जाए - भारत का संविधान* (1950)- *कला।* 226- *विस्थापित व्यक्ति जिसके पास भूमि के आबंटन के लिए पात्र होने का सत्यापित दावा है- क्या वह मुख्य बंदोबस्त आयुक्त के निर्देशों को चुनौती देते हुए याचिका दायर करने का हकदार है।*

यह माना गया है कि विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 3 (2) के तहत मुख्य निपटान आयुक्त में निहित सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण की शक्तियों का उद्देश्य केवल अधिनियम के किसी विशिष्ट प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों के आधार पर मुख्य निपटान आयुक्त के अधीनस्थ अधिकारियों में निहित शक्तियों को नियंत्रित करना है, लेकिन मुख्य निपटान आयुक्त को कोई अधिकार या अधिकार क्षेत्र प्रदान करने का इरादा नहीं है। ऐसे निदेश या अनुदेश देना जो अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के दायरे से बाहर हैं, अर्थात जो या तो कानून के किसी प्रावधान द्वारा प्राधिकृत नहीं हैं या जो अधिनियम या नियमों के उपबंधों के विपरीत हैं।

यह माना गया है कि विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 द्वारा वैधानिक शक्ति जिले के प्रबंध अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी आवंटित की गई विस्थापित संपत्ति को वैध कारणों से आवंटित करने या आवंटित करने से इनकार करने की निहित है। प्रबंध अधिकारी द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग अपील और अधिनियम के तहत आगे संशोधन के अधीन है। प्रबंध अधिकारी की शक्ति विधायिका से ली गई है और ऐसी शक्ति के प्रयोग में किसी भी विवेकाधिकार की सीमा उस भाषा पर निर्भर होनी चाहिए जिसे विधायिका ने नियोजित करने के लिए चुना है। विवेकाधिकार का प्रयोग न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों के अनुरूप सद्भावना और विस्थापित व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रबंध अधिकारी

द्वारा पारित आदेश अपने चेहरे पर यह दर्शाता है कि उसे प्रशासनिक निर्देशों द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करने से प्रतिबंधित किया गया था या यहां तक कि कुछ प्रशासनिक निर्देशों या किसी उच्च प्राधिकारी द्वारा जारी परिपत्र पत्र द्वारा अपने स्वयं के स्वतंत्र दिमाग से सवाल पूछने से भी प्रतिबंधित किया गया था, तो आदेश को बाहरी कारणों पर आधारित माना जाना चाहिए और उस छोटे से आधार पर रद्द कर दिया जाना चाहिए। मुआवजा पूल से संपत्ति हस्तांतरित करने की शक्ति अधिनियम की धारा 20 के तहत एक प्रबंध अधिकारी में निहित है। उस धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग अधिनियम के तहत बनाए जाने वाले किसी भी नियम के अधीन किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि के लिए सत्यापित दावों के संबंध में मुआवजे के भुगतान के संबंध में बनाए गए एकमात्र प्रासंगिक नियम अधिनियम के तहत बनाए गए 1955 के नियमों के अध्याय VIII में निहित हैं। इनमें से कोई भी नियम मुख्य निपटान आयुक्त को अधिनियम की धारा 20 द्वारा निहित प्रबंध अधिकारी के विवेकाधिकार को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं देता है।

यह माना गया कि कृषि भूमि के संबंध में सत्यापित दावा करने वाला एक विस्थापित व्यक्ति विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) नियम, 1955 के नियम 49 के तहत अधिग्रहित विस्थापित कृषि (ग्रामीण) संपत्ति प्राप्त करने का हकदार है। ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता है जो सरकार को किसी विशेष जिले में याचिकाकर्ताओं को इस आशय के किसी वैधानिक नियम के अभाव में इस तरह का आवंटन देने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने भूमि दावा संगठन (अनुबंध 'बी') के निर्देशों के अनुसरण में प्रबंध अधिकारी-सह-तहसीलदार (बिक्री), गुड़गांव से संपर्क किया है, यह प्रबंध अधिकारी का कर्तव्य था कि वह उस आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले। जहां तक उन्हें इस मामले में अपना दिमाग लगाने और उस पर अपना निर्णय देने से आक्षेपित निर्देशों द्वारा वंचित किया गया था, याचिकाकर्ताओं के कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया था। यदि किसी याचिकाकर्ता का किसी निश्चित मामले में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत व्यक्तिगत हित है, जो एक कार्यवाही में अर्ध-न्यायिक आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, जिसमें वह एक पक्ष है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि कोई भी कानून ऐसे व्यक्ति को उस राहत का दावा करने का पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करता है जिसके लिए उसे राहत मिली थी। आवेदन किया और जिसे उसे अस्वीकार कर दिया गया है। प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करेगा और यह कहना असुरक्षित प्रतीत नहीं होता है कि यदि कोई अर्ध-न्यायिक आदेश बाहरी विचारों पर या किसी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा अनधिकृत निर्देश के अनुसरण में पारित किया जाता है, तो प्रभावित व्यक्ति को सर्टिओरारी की प्रकृति में रिट द्वारा आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना *करने का अधिकार है* , भले ही उसे सटीक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हो या न हो। राहत जो आक्षेपित आदेश द्वारा उन्हें देने से इनकार कर दिया गया है।

माननीय न्यायमूर्ति आर एस नरूला द्वारा 16 मार्च, 1967 को मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एक खंडपीठ को भेजा गया था और इस मामले का अंतिम निर्णय माननीय श्री जूटिस डीके महाजन और माननीय न्यायमूर्ति श्री आरएस नरूला की खंडपीठ द्वारा किया गया था। 1967.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2 के सहायताकर्ता को रद्द करने के लिए प्रमाणपत्र, परमादेश *या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की रिट जारी की जाए।*

जी.सी. याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मित्तल और प्रकाश चंद जैन।

जे.सी. के साथ एडवोकेट-जनरल (हरियाणा) आनंद स्वरूप।वर्मा, वकील, प्रतिवादियों के लिए।

डिवीजन बेंच का आदेश।

नरूला, जे-मेरा 16 मार्च, 1967 का आदेश, जिसके अनुसरण में यह संदर्भ एक खंडपीठ को दिया गया है, को इस निर्णय के एक भाग के रूप में पढ़ा जा सकता है। इसमें सभी संगत तथ्यों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। पंजाब सरकार के उप सचिव ने 25 जनवरी, 1964 को एक परिपत्र पत्र जारी किया था, जिसमें रोहतक और गुड़गांव जिलों में विस्थापित अधिग्रहित कृषि भूमि के आवंटन पर रोक लगा दी गई थी, जो कि 1964 के सिविल रिट नंबर 1453 (गोपी चंद बनाम गोपी चंद बनाम गोपी चंद बनाम *1453)* में थी। पंजाब सरकार के उप सचिव और एक अन्य, राज्य सरकार के उक्त निर्देश को 17 दिसंबर, 1965 को इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश (जिंदरा लाई, जे,) द्वारा रद्द कर दिया गया था, कि सिंध में छोड़ी गई कृषि भूमि के लिए उन्हें देय मुआवजे के बदले भूमि के आवंटन के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन के जवाब में, याचिकाकर्ताओं को 1 मार्च, 1966 को एक पत्र (अनुलग्नक 'ए') जारी किया गया था कि वे रोहतक और गुड़गांव जिलों के अलावा पंजाब में किसी भी स्थान पर आवंटन के लिए अपनी पसंद बताएं, कि याचिकाकर्ताओं के मुख्य निपटान आयुक्त, पंजाब (वित्तीय आयुक्त राजस्व) को अभ्यावेदन पर, गुड़गांव जिले के लिए उनकी पसंद स्वीकार कर ली गई थी और उन्हें 8 अगस्त को एक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था। (ग) 24 अगस्त, 1966 को तहसीलदार (बिक्री), गुड़गांव के समक्ष उपस्थित होने के लिए 1966 (अनुलग्नक 'बी') कि उस जिले में याचिकाकर्ताओं को वास्तविक आवंटन किए जाने से पहले 2 फरवरी, 1967 के पत्र (अनुबंध 'सी') में निहित निर्देश हरियाणा सरकार के उप सचिव (पुनर्वास विभाग) द्वारा सहायक रजिस्ट्रार, भूमि दावा संगठन को जारी किए गए थे। हरियाणा, निम्नलिखित शब्दों में, जिसके अनुसरण में 13 फरवरी, 1967 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 'डी') तहसीलदार (बिक्री), गुड़गांव द्वारा पारित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं को इस तथ्य के मद्देनजर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था कि गुड़गांव में आवंटन रोक दिया गया था: –

> राजस्व विभाग के वित्तीय आयुक्त ने फैसला किया है कि भविष्य में गुड़गांव जिले में कोई आवंटन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि शेष विस्थापित स्थल 'वाणिज्यिक' प्रकृति और मूल्य के हैं। इन्हें अधिकतम संभव गति के साथ खुली नीलामी द्वारा निपटाया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं के वकील श्री मित्तल द्वारा लगाए गए आक्षेपित आदेश (अनुबंध 'डी') के खिलाफ पहला हमला यह है कि यह 2 फरवरी, 1967 (अनुबंध 'सी') के विभागीय निर्देशों में दिए गए निर्देशों के अलावा किसी अन्य आधार पर आधारित नहीं है, और उक्त निर्देश अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा यह विवादित नहीं है कि विवादित आदेश (अनुबंध 'डी') केवल हरियाणा सरकार द्वारा सहायक रजिस्ट्रार, भूमि दावा संगठन, हरियाणा (अनुबंध 'सी') को दिए गए बाध्यकारी निर्देशों के मद्देनजर तहसीलदार (बिक्री) द्वारा पारित किया गया था। इसलिए, एकमात्र प्रश्न जो निर्णय की मांग करता है, वह यह है कि क्या उक्त अनुदेश विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम (1954 का 44) द्वारा विधिवत अधिकृत हैं, जिसे बाद में अधिनियम कहा जाता है)। कानून का एकमात्र प्रावधान, जिसके अंतर्गत श्री आनन्द स्वरूप,

हरियाणा राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) में उक्त निर्देशों का समर्थन करने का प्रयास किया है जो निम्नलिखित शर्तों में है -

> "इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, संयुक्त मुख्य निपटान आयुक्त, सभी उप मुख्य निपटान आयुक्त, निपटान आयुक्त, अतिरिक्त निपटान आयुक्त, सहायक निपटान आयुक्त, निपटान अधिकारी, सहायक निपटान अधिकारी और प्रबंध अधिकारी मुख्य निपटान आयुक्त के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के तहत इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत उन्हें सौंपे गए कार्यों का पालन करेंगे।

तब प्रश्न यह उठता है कि क्या उपर्युक्त उपबंध द्वारा मुख्य बंदोबस्त आयुक्त में निहित सामान्य अधीक्षण की शक्तियां उन्हें यह अधिकार देती हैं कि वे किसी विशेष प्रबंध अधिकारी को अपने जिले में अधिग्रहित विस्थापित कृषि भूमि को ऐसे विस्थापित व्यक्ति को आवंटित करने के अधिकार क्षेत्र से वंचित कर दें, जिसके पास ऐसी भूमि के आवंटन के लिए सत्यापित दावा है और जिसके विरुद्ध उस जिले में भूमि प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है? मैंने इस मामले को इस धारणा के आधार पर देखना शुरू कर दिया है कि 2 फरवरी, 1967 के पत्र (अनुबंध 'सी') में निहित आक्षेपित निर्देशों को पंजाब के मुख्य निपटान आयुक्त द्वारा जारी किया गया माना जाना चाहिए, हालांकि पत्र स्पष्ट रूप से सरकार के उप सचिव, हरियाणा (पुनर्वास विभाग), चंडीगढ़ द्वारा जारी किया गया है। उस विभाग के एक उपाधीक्षक के हस्ताक्षर के तहत और उसकी केवल एक प्रति मुख्य निपटान आयुक्त, जुलुंदूर को अनुमोदित की गई है। यह स्वीकार किया जाता है कि हरियाणा सरकार के उप सचिव के पास किसी भी मामले में, अधिनियम के तहत कोई निर्देश जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। तथापि, यह तर्क दिया गया है कि उपाधीक्षक केवल वित्तीय आयुक्त (राजस्व) के निर्णय से अवगत करा रहे थे, जो अधिनियम के तहत पंजाब राज्य के मुख्य निपटान आयुक्त थे। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इसलिए, मैं आक्षेपित अनुदेशों को मुख्य निपटान आयुक्त द्वारा जारी किए गए निर्देशों के रूप में मान रहा हूं।

हमारी राय में, अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत मुख्य निपटान आयुक्त में निहित सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण की शक्तियों का उद्देश्य केवल अधिनियम के किसी विशिष्ट प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियम के आधार पर मुख्य निपटान आयुक्त के अधीनस्थ अधिकारियों में निहित शक्तियों को नियंत्रित करना है, लेकिन मुख्य निपटान आयुक्त को कोई निर्देश देने के लिए कोई अधिकार या अधिकार क्षेत्र प्रदान करने का इरादा नहीं है।

ऐसे अनुदेश जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के दायरे से बाहर हैं, अर्थात् जो या तो कानून के किसी उपबंध द्वारा प्राधिकृत नहीं हैं या जो अधिनियम या नियमों के किसी उपबंध के विपरीत हैं। श्री आनन्द स्वरूप इस अधिनियम या नियमों के किसी उपबंध का उल्लेख नहीं कर पाए हैं जिसके अन्तर्गत मुख्य बंदोबस्त आयुक्त द्वारा हमारे समक्ष आक्षेपित प्रकार का निदेश दिया जा सके। *दुनीचंद* वी में। *उपायुक्त* (1) यह माना गया था कि कुछ नियमों में प्रस्तावित संशोधनों के लंबित होने तक केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए केवल निर्देशों को तब तक कोई वैधानिक बल प्राप्त नहीं होता है जब तक कि उन निर्देशों को लागू करने के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया हो। विस्थापित संपत्ति प्रशासन अधिनियम(1950 का 31) की धारा 6(3), जिसके तहत 12 राज्य अभिरक्षक को ऐसी शक्तियां प्रदान की जाती हैं, में होने वाली अभिव्यक्ति के अर्थ, प्रभाव और दायरे का प्रश्न इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए आया । *मेहर सिंह* (2) पीठ ने कहा कि अभिरक्षक को सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण की शक्तियां प्रदान करने वाला प्रावधान कानून में संरक्षक या किसी अन्य अधिकारी को कार्यकारी निर्देश जारी करने में सक्षम नहीं बनाता है कि एक सहायक संरक्षक को उक्त 1950 अधिनियम की धारा 40 द्वारा उसे दिए गए विवेक का उपयोग कैसे करना चाहिए। उपर्युक्त मामले में खंडपीठ द्वारा विशेष रूप से कहा गया था कि सामान्य अधीक्षण की शक्ति का उपयोग अधीनस्थ न्यायाधिकरण के विवेकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। राज्य बनाम *राज्य* मामले *में उपरोक्त निर्णय।मेहर सिंह* (2) हमारे सामने उठाए गए मुद्दे को पूरी तरह से कवर करती प्रतीत होती हैं। अधिनियम द्वारा जिले के प्रबंध अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी आवंटित योग्य विस्थापित संपत्ति को वैध कारणों से आवंटित करने या आवंटित करने से इनकार करने की वैधानिक शक्ति निहित है। प्रबंध अधिकारी द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग अपील और अधिनियम के तहत आगे संशोधन के अधीन है। प्रबंध अधिकारी की शक्ति विधायिका से ली गई है और ऐसी शक्ति के प्रयोग में किसी भी विवेकाधिकार की सीमा, डिवीजन बेंच के निर्णय के संदर्भ में, उस भाषा पर निर्भर होनी चाहिए जिसे विधायिका ने नियोजित करने के लिए चुना है। विवेकाधिकार का प्रयोग न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों के अनुरूप विस्थापित व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपने चेहरे पर यह दर्शाता है कि उसे प्रशासनिक निर्देशों द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करने या यहां तक कि उसके सामने प्रश्न लाने से प्रतिबंधित किया गया था

(1) ए.आई.आर. 1954 एस.सी.

(2) 1959 पी.एल.आर.

कतिपय प्रशासनिक अनुदेशों अथवा किसी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा जारी परिपत्र पत्र द्वारा अपने स्वयं के स्वतंत्र दिमाग से आदेश को बाहरी कारणों पर आधारित माना जाना चाहिए और उस अल्प आधार पर इसे निरस्त किया जाना चाहिए। मुआवजा पूल से संपत्ति हस्तांतरित करने की शक्ति अधिनियम की धारा 20 के तहत एक प्रबंध अधिकारी में निहित है। उस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग अधिनियम के अंतर्गत बनाए जाने वाले किसी भी नियम के अधीन किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि के लिए सत्यापित दावों के संबंध में मुआवजे के भुगतान के संबंध में बनाए गए एकमात्र प्रासंगिक नियम अधिनियम के तहत बनाए गए 1955 के नियमों के अध्याय VIII में निहित हैं। इनमें से कोई भी नियम मुख्य निपटान आयुक्त को अधिनियम की धारा 20 द्वारा निहित प्रबंध अधिकारी के विवेकाधिकार को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं देता

है। *राम नाथ* बनाम राम नाथ में। *केंद्र सरकार* (3), इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश (बिशन नारायण, जे) ने कहा कि संबंधित अधिकारी उस उद्देश्य के लिए नियम तैयार किए बिना शहरी कृषि भूमि का निपटान नहीं कर सकते। इस न्यायालय की एक खंडपीठ (टेक चंद और पंडित, जेजे) ने *बिशन सिंह* बनाम *जेजे मामले में फैसला सुनाया। केन्द्र* सरकार और अन्य (4) ने कहा कि अधिग्रहीत शहरी कृषि भूमि के निपटान के तरीके के संबंध में केन्द्र सरकार और मुख्य बंदोबस्त आयुक्त द्वारा जारी प्रेस नोट वैध नहीं थे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी और केन्द्र सरकार संगत नियम बनाए बिना ऐसी भूमि को बेच नहीं सकती थी। इसी प्रकार, सरकार द्वारा जारी ज्ञापन में निहित बंजार कट फार्मूले को इस न्यायालय की एक अन्य पीठ (मेहर सिंह जे., एमवी लॉर्ड के रूप में, उस समय मुख्य न्यायाधीश, और ग्रोवर, जे.) *ने मोहन लाई शर्मा* बनाम *भारत मामले में निरस्त कर दिया था।केंद्र सरकार और अन्य* (5)। संक्षेप में, मुख्य बंदोबस्त आयुक्त को अनुबंध 'सी' में निहित प्रकार के निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, यदि उन्हें अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के बिना प्रदान किया गया है, तो उक्त विभागीय अनुदेशों को पूरी तरह से लागू नहीं माना जाना चाहिए और इस रूप में रद्द कर दिया जाना चाहिए और अप्रभावी घोषित किया जाना चाहिए। चूंकि प्रबंध अधिकारी द्वारा केवल उक्त निर्देशों के आधार पर आदेश (अनुलग्नक 'डी') पारित किया गया था, इसलिए उक्त आदेश ^इसके साथ आना चाहिए।

(3) 1960 पी.एल.आर. 353.

(4) आई.एल.आर. (1961) 1 पुंज। 415- 1961 पी.एल.आर.

(5) आई.एल.आर. (1963) 1 पुंज। 389=1I963 P.L.R. 139.

प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप द्वारा लगाए गए आदेशों को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज करने के लिए एकमात्र तर्क यह है कि याचिकाकर्ताओं को, वकील के अनुसार, किसी विशेष जिले में भूमि के आवंटन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। तर्क यह है कि यदि याचिकाकर्ताओं को इस तरह के आवंटन पर जोर देने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और इसका कोई उल्लंघन नहीं है, तो उन्हें संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत इस न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने का कोई अधिकार नहीं है । सूरज प्रकाश (6)। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा इस बात पर जोर दिया जाता है कि किसी अधिकार का अस्तित्व और उसका उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का आधार है। उस मामले में भूमि का आबंटन समेकन कार्यवाही में संगत अधिनियम के प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन में नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा संबंधित चकबंदी अधिकारी को दिए गए प्रशासनिक निर्देशों के अनुसरण में किया गया था। चकबंदी की योजना को निरस्त करने के लिए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया और चकबंदी अधिकारी को कानून के अनुसार उनके समक्ष मामले में आगे बढ़ने का निर्देश जारी किया। पंजाब राज्य ने उच्चतम न्यायालय में अपील की, जहां अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया कि सूरज प्रकाश और अन्य को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका को बनाए रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में यह देखते हुए कि किसी अधिकार का अस्तित्व और उसका उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद

226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का आधार है, सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप ने कहा कि जिस तारीख को सूरज प्रकाश और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, उस तारीख को उन्हें आवंटित संपत्तियों में उनका बहुत मूल्यवान अधिकार था, जो उन्हें उच्च न्यायालय से देने के लिए कहने का अधिकार देता था। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत मिली है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने सत्यापित दावे किए। कानून ने उन्हें अधिग्रहित विस्थापित कृषि (ग्रामीण) संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दिया। ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता है जो सरकार को किसी विशेष जिले में याचिकाकर्ताओं को इस आशय के किसी वैधानिक नियम के अभाव में इस तरह का आवंटन देने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने भूमि दावा संगठन (अनुबंध 'बी') के निर्देशों के अनुसरण में प्रबंध अधिकारी-सह-तहसीलदार बिक्री) गुड़गांव से संपर्क किया है। यह प्रबंध अधिकारी का कर्तव्य था कि वह गुण-दोष के आधार पर लगाए गए आरोपों का निर्णय स्वयं करे। फिर जहां तक उन्हें इस मामले में इस दिमाग को लागू करने और उस पर अपना निर्णय देने से आक्षेपित निर्देशों द्वारा वंचित किया गया था, याचिकाकर्ताओं के कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया था। यदि किसी याचिकाकर्ता का किसी निश्चित मामले में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत व्यक्तिगत हित है, जो एक कार्यवाही में अर्ध-न्यायिक आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, जिसमें वह एक पक्ष है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि कोई भी कानून ऐसे व्यक्ति को उस राहत का दावा करने का पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करता है जिसके लिए उसे राहत मिली थी। आवेदन किया और जिसे उसे अस्वीकार कर दिया गया है। प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करेगा और यह कहना असुरक्षित प्रतीत नहीं होता है कि यदि कोई अर्ध-न्यायिक आदेश बाहरी विचारों पर या किसी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा अनधिकृत निर्देश के अनुसरण में पारित किया जाता है, तो प्रभावित व्यक्ति को सर्टिओरारी की प्रकृति में रिट द्वारा आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना करने का अधिकार है, भले ही उसे सटीक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हो या न हो। राहत जो आक्षेपित आदेश द्वारा उन्हें देने से इनकार कर दिया गया है। इसलिए, हम मानते हैं कि महाधिवक्ता द्वारा उठाई गई इस तकनीकी आपत्ति में कोई दम नहीं है।

(फीट) ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 607.

हमारे समक्ष किसी अन्य मुद्दे पर बहस नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है और इसलिए, वे प्रतिवादियों से इस न्यायालय में कार्यवाही की अपनी लागत प्राप्त करने के हकदार हैं।

इसलिए, हम इस याचिका को लागत के साथ स्वीकार करते हैं और लागू किए गए निर्देशों और आदेशों (अनुबंध 'सी' और 'डी') को रद्द करते हैं और प्रतिवादियों को कानून के अनुसार गुड़गांव जिले में भूमि के आवंटन के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन से निपटने और उनका निपटान करने का निर्देश देते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादीके सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोगनहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक औरआधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करणप्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्यके लिए उपयुक्त रहेगा ।

वरुण बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम